सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सतर्कता अनुभाग

पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

गुडगाँव

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त महोदय, नई दिल्ली को दिनाँक 16-06-2016 के द्वारा पावरग्रिड में व्याप्त भ्रष्टाचार के जाँच करने के संबंध में आवेदन दिया था (छायाप्रति संग्लन)। जिसको कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा 19-07-2016 के कार्यालय ज्ञापन सं० 39546/2016 / विज. 6 के द्वारा आवश्यक कारवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को भेजा गया। लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कारवाई होता प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(1) उक्त आवेदन मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यालय में किस तिथि को प्राप्त हुआ। कृपया सूचना उपलब्ध करायें।

(2) जिस तिथि को आवेदन प्राप्त हुआ उस तिथि से अब तक उक्त आवेदन पर क्या कारवाई हुई है। कृपया तिथिवार सूचना उपलब्ध करायें।

(3) आवेदन से संबंधित फाईल की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाय।

(4) आवेदन प्राप्त होने के कितने समय तक में जाँच पूरी हो जाती है। कृपया सूचना उपलब्ध करायें।

मैं भारत का नागरिक हूं। तथा I.P.O - 20 रू० का [illegible] संग्लन कर भेज रहा हूं। जिसकी सं०-18F019868 एवं 18F019872 है

संग्लनक - यथोपरि

विश्वासभाजन
कंचन कुमार
09-12-2016

पत्राचार का पता
कंचन कुमार
ग्राम - अशोकनगर
पो० - नौलखी
थाना - मुरलीगंज
जिला - पूर्णियाँ

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त महोदय,

नई दिल्ली

विषय : पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम है। जिसके द्वारा विश्वनाथ चरयाली से आगरा तक ±800 KV HVDC लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें से पावरग्रिड सब स्टेशन, पुर्णिया (विहार) द्वारा इस्लामपुर से सहरसा तक 492 टावरों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिनमें व्याप्त भारी वित्तीय अनियमितता एवं रिश्वतखोरी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1. भू-स्वामित्व का सत्यापन ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराया गया है, जबकि यह अधिकार सिर्फ राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के पास होता है।

2. भूमि से संबंधित दस्तावेज़ सिर्फ राजस्व विभाग के कार्यालय में होता है ग्राम पंचायत कार्यालय में भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज़ नहीं होता है।

3. गलत एवं अधिक भुगतान के लिए कार्यस्थल से 4 किमी (चार किमी) दूरी तक के भूमि का विवरण दिखाया गया है।

4. एक ही भूमि के कई भूस्वामी दिखाये गये है।

5. एक ही प्लॉट सं० को कई खाता संख्या में दिखाया गया है, जबकि एक प्लॉट एक ही खाता संख्या के अंतर्गत आता है।

6. एक ही भूमि पर, एक ही व्यक्ति ने, एक साथ भिन्न- भिन्न फसल दिखाकर, भिन्न- भिन्न मुआवजा फॉर्म भरा है। ऐसा फसल जो उस भूमि पर न हुआ है, न हो सकता है।

7. एक ही व्यक्ति ने अलग- अलग नाम से मुआवजा प्राप्त किया है।

8. एक ही भूमि की भू – स्वामित्व सत्यापन अलग- अलग मुआवजा प्रपत्र पर अलग- अलग ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों से कराया गया है।

आवेदन के साथ उदाहरण के तौर पर सिर्फ दो टावर 386/0 एवं 385/3 से संबंधित भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण (दस्तावेज़ सहित) संलग्न कर रहे हैं, यदि इसकी सही तरीके से जांच की जायेगी तो उम्मीद है यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला होगा।

अतः आपसे प्रार्थना है की इस वित्तीय अनियमितता की जांच करने की कृपा करें ।

विश्वास भाजन

कंचन कुमार

16-06-2016

कंचन कुमार

पत्राचार का पता :-

कंचन कुमार

ग्राम- अशोकनगर ,

पो० – नौलखी

भाया – मुरलीगंज, जिला – पूर्णिया

पिन – 852122 (बिहार)

संलग्न :

1. [illegible] की सूची
2. प्रपत्रों की प्रतियाँ

प्रति :

1. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
2. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
3. ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली

उदाहरण के तौर पर दो टावरों 385/3 एवं 386/0 का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1. टावर सं० 385/3 का निर्माण खाता सं० 10 एवं खेसरा सं० – 4 ग्राम- अशोकनगर, पंचायत- चाँदपुर भंगहा, अंचल- बनमनखी, जिला- पुर्णिया में हुआ है। जिसका स्वामित्व स्व० विशेश्वर झा के नाम हैं।
2. टावर सं० 386/0 का निर्माण खाता सं० 53, खेसरा सं०- 538 ग्राम- अशोकनगर, पंचायत- चाँदपुर भंगहा, अंचल- बनमनखी, जिला- पुर्णिया में हुआ है। जिसका स्वामित्व श्री शिवेश्वर झा के नाम है।
3. टावर सं० 386/0 के फाउंडेशन के समय खाता सं० 53 एवं खेसरा सं० 538 में दिये गये मुआवजों का विवरण :-

	प्रपत्र सं०	राशि	फसल का नाम		
श्री प्रवेश कुमार झा	478/23809	₹ 84000 ₹ 84000	हल्दी हल्दी	एक ही प्रपत्र पर दो चेक जारी	छायाप्रति संलग्न
श्रीमति शीला देवी पति श्री प्रवेश कु० झा	478/23811	₹ 40185 ₹ 34560	बैगन एवं टमाटर	एक ही प्रपत्र पर दो चेक जारी	
श्री मिथिलेश कु० झा	478/23807	₹ 84000 ₹ 84000	हल्दी हल्दी	एक ही प्रपत्र पर दो चेक जारी	
श्रीमति रेणु कुमारी पति श्री मिथिलेश झा	478/23813	₹ 40185 ₹ 34560 ₹ 34560	बैगन एवं टमाटर	एक ही प्रपत्र पर तीन चेक जारी	
श्री सर्वेश कुमार झा	478/23808	₹ 84000	हल्दी -	एक चेक जारी	
श्रीमति डेजी देवी पति सर्वेश झा	478/23812	₹ 40185 ₹ 34560 ₹ 34560	बैगन एवं टमाटर	एक ही प्रपत्र पर तीन चेक जारी	

उपरोक्त विवरण में तीनों भाइयों ने फसल के रूप में हल्दी दिखा रखा है एवं तीनों की पत्नियों ने फसल के रूप में बैगन एवं टमाटर दिखा रखा है जोकि असंभव है।

4. टावर सं० 386/0 का फाउंडेशन, इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग तीनों कार्य खाता सं० 53 एवं खेसरा सं० 538 में ही हुआ है। लेकिन अधिक भुगतान के लिए खाता सं० 20 खेसरा सं० 2771, 2772,2776, 2777 एवं 2778 पंचायत – नौलखी, अंचल- बनमनखी, पूर्णिया जोकि टावर सं० 386/0 से चार किमी दूर है, का विवरण दिखाकर मुआवजा दिया गया है। जिसका निम्न विवरण है :-

	खाता सं०	खेसरा सं०	मुआवजा
श्री प्रवेश कुमार झा	20	2772, 2777	₹ 42,168/-
श्रीमति शीला देवी (पति श्री प्रवेश झा)	20	2771, 2772, 2777	₹ 69,680/-
श्रीमति रेणु देवी (पति श्री मिथिलेश झा)	20	2771, 2772, 2777	₹ 66,980/-
श्री मिथिलेश कुमार झा *	20	2771, 2772	₹ 70,800/-

*श्री मिथिलेश कुमार झा के उपरोक्त प्रपत्र पर किसी जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी नहीं है।

श्री आकाश भारद्वाज *	20	2778	₹ 45,360/-

छायाप्रति संलग्न

- श्री आकाश भारद्वाज को खाता 20 खेसरा सं० 2778 में फ़ाउंडेशन होने समय क्षति दिखाया गया है, जबकि यह 386/0 से चार किमी दूर है।

श्री सर्वेश कुमार झा	20	2771, 2777, 2776	₹ 52,608/-
श्रीमति अकाबरी देवी (पति श्री शिवेश्वर झा)	20	2771, 2778, 2776	₹ 45,360/-
श्रीमति डेजी देवी (पति श्री सर्वेश झा)	20	2778	₹ 76,201/-
श्री शिवेश्वर झा	20	2778, 2771, 2776	₹ 67,680/-
श्री शिवेश्वर झा	20	2771, 2772, 2778	₹ 1,88,203/-

छायाप्रति संलग्न

5. टावर संख्या 386/0 के स्ट्रिंगिंग का भी सारा काम खाता 53 एवं खेसरा सं० 538 में ही हुआ है। लेकिन खाता सं० 51 एवं खेसरा सं० 938, 539 दिखाकर भुगतान हुआ है, जबकि खाता सं० 51 में खेसरा सं० 938, 539 नही है एवं खाता सं० 051 स्व० विशेश्वर झा का है जो इन लोगो से अलग है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री प्रवेश कुमार झा	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्रीमति रेणु कुमारी (पति श्री मिथिलेश झा)	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्रीमति डेजी देवी (पति सर्वेश कुमार झा)	51	938, 539	₹ 31,680/-
शीला देवी (पति प्रवेश कुमार झा)	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्री सर्वेश कुमार झा	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्री शिवेश्वर झा	51	938, 539	₹ 14,400/-
श्रीमति अकबरी देवी (पति श्री शिवेश्वर झा)	51	938, 539	₹ 33,120/-
श्री आकाश भारद्वाज	51	938, 539	₹ 33,120/-
श्री मिथिलेश कुमार झा *	53	938, 539, 566	₹ 14,400/-

छायाप्रति संलग्न

** श्री मिथिलेश कुमार झा को खाता 53 दिखाकर भुगतान किया गया है जबकि कोई भी खेसरा एक निश्चित ही खाता सं० में आता है।

6. टावर सं० 386/0 के इरेक्शन के समय गलत खाता एवं खेसरा तथा बिना किसी खाता खेसरा का भी भुगतान हुआ है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्रीमति डेजी देवी * (पति सर्वेश कुमार झा)	1176	562, 563	₹ 42,000/-

*. खाता एवं खेसरा दोनों किसी अन्य व्यक्ति का है।

श्री प्रवेश कुमार झा*	-	-	₹ 50,625/-

*. उपरोक्त प्रपत्रों में कोई भी खाता एवं खेसरा नहीं दर्शाया गया है।

छायाप्रति संलग्न

7. टावर सं० 385/3 निर्माण पंचायत – चाँदपुर भंगहा में होने के बावजूद दूसरे पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सत्यापित किया गया है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री ललन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 42,000/-
श्रीमति सुधारानी देवी (पति श्री ललन झा)	10	1,2,3,4	₹ 25,200/-
श्री रतन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 42,000/-
श्रीमति वीणा देवी (पति श्री रतन झा)	10	1,2,3,4	₹ 24,840/-
श्री मनोरंजन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 42,000/-
श्रीमति सरोज देवी (पति श्री मनोरंजन झा)	10	1,2,3,4	₹ 25,200/-
श्री रंजन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 66,600/-

छायाप्रति संलग्न

उपरोक्त सारे प्रपत्रों को दूसरे भाग संख्या 04 के पंचायत समिति सदस्य द्वारा सत्यापित कराया गया है। उपरोक्त सारे प्रपत्र 19/02/2015 को जारी हुआ, जिसमें फसल हल्दी दिखाया गया है।

नीचे दिये गए प्रपत्र दिनांक 13/03/2015 को (24 दिन बाद) जारी हुए है, जिसमें फसल अदरक दिखाया गया है जबकि इस इलाके मे न तो हल्दी होता है न ही अदरक।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री ललन कुमार झा	10	1,2,3,4,16	₹ 60,588/-
श्री नवनीत कुमार	10	1,2,3,4	₹ 24,400/-
श्री रतन कुमार झा *	10	1,2,3,4,16	₹ 59,940/-
श्री मनोरंजन कुमार झा *	10	1,2,3,4,16	₹ 59,940/-
श्री रंजन कुमार झा *	10	1,2,3,4,16	₹ 59,940/-

छायाप्रति संलग्न

*. श्री ललन झा, श्री रतन झा, श्री मनोरंजन झा एवं श्री रंजन झा के प्रपत्र को अन्य पंचायत के सरपंच द्वारा सत्यापित किया गया है।

8. टावर सं० 385/3 के लिए कार्यस्थल से लगभग एक किमी दूर की जमीन पर मुआवजा दिया गया है, जबकि उक्त भूमि पर कोई क्षति नहीं हुई है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री दीपक कुमार झा	2	40,14	₹ 19,200/-
श्री रतनेश्वर झा	2	40,14	₹ 16,284/-
श्रीमति वीणा देवी (पति श्री रतनेश्वर झा)	2	40,14	₹ 19,200/-
श्रीमति कंचन कुमारी (पति श्री रंजन झा)	2	10,14	₹ 37,488/-
श्रीमति सुधारानी देवी (पति श्री ललन कुमार झा)	2	40,14	₹ 16,908/-
श्री ललन कुमार झा	2	40,14	₹ 16,908/-
श्रीमति स्वाति कुमारी (पिता श्री रंजन मिश्रा)	2	10,14	₹ 30,888/-
श्रीमति सरोज देवी (पति श्री मनोरंजन झा)	2	40,14	₹ 16,908/-

छायाप्रति संलग्न

उपरोक्त सारे प्रपत्रों की पावरग्रिड द्वारा जारी तिथि 02/04/2015 एवं मुखिया द्वारा सत्यापन की तिथि 24/03/2015 है, जबकि पावरग्रिड द्वारा जारी तिथि पहले होना चाहिए एवं मुखिया द्वारा सत्यापन्न बाद की तिथि में होना चाहिए था।

श्री रतन कुमार झा एवं श्री रतनेश्वर झा एक ही व्यक्ति है, सिर्फ अधिक भुगतान के लिए दो नाम दिखाया गया है।

9. टावर सं० 386/0 के लिए एक ही खेसरा संख्या को अलग- अलग खाता में बताकर भुगतान किया गया है, जबकि कोई भी खेसरा संख्या एक निश्चित खाता सं० के अंतर्गत ही आता है।

	खाता सं०	खेसरा	भुगतान
श्री मनोरंजन कु झा	51	734, 735	₹ 9,600/-
श्री ललन कुमार झा	51	734, 735	₹ 9,600/-
श्री रतनेश्वर झा	51	734, 735	₹ 9,600/-
श्री रंजन कुमार झा	51	734, 735	₹ 9,600/-

छायाप्रति संलग्न

उपरोक्त प्रपत्रोंकों दूसरे पंचायत के मुखिया से सत्यापित कराया गया है।

श्री मनोरंजन कु झा	52	734, 735	₹ 9,600/-
श्री ललन कुमार झा	52	734, 735	₹ 9,600/-
श्री रतनेश्वर झा	52	734, 735	₹ 9,600/-
श्री रंजन कुमार झा	52	734, 735	₹ 9,600/-

छायाप्रति संलग्न

उपरोक्त प्रपत्रों को दूसरे पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के द्वारा सत्यापित कराया गया है।

10. टावर सं० 385/2 के लिए खाता सं० – 52 एवं खेसरा सं० – 3869 के एक ही समय विभिन्न फसल दिखाकर भुगतान हुआ है जबकि टावर सं० 385/2 से संबन्धित कोई भी कार्य उक्त भूमि पर नहीं हुआ है।

	खाता	खेसरा	फसल	भुगतान
श्री ललन कुमार झा	52	3869	हल्दी एवं मकई	₹ 20,160/-
श्री नितिन कुमार झा	52	3869	बैगन एवं टमाटर	₹ 25,650/-
श्री रतनेश्वर झा	52	3869	हल्दी एवं मकई	₹ 20,160/-
श्री रंजन कुमार झा	52	3869	टमाटर	₹ 17,280/-
श्री मनोरंजन कुमार झा	52	3869	हल्दी एवं मकई	₹ 20,160/-

छायाप्रति संलग्न

11. टावर संख्या – 385/2 एवं 385/3 के बीच स्ट्रिंगिंग के समय खाता संख्या 52 खेसरा संख्या 3869 में बाँस एवं वृक्षों की क्षति दिखाई गई है जबकि उस खेसरा संख्या होकर न तो ट्रांसमीशन लाइन का तार ही गुजरा है और न ही कोई क्षति हुई है।

	खाता	खेसरा	फसल/ वृक्ष	प्रपत्र सं०	
ललन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	007	छायाप्रति संलग्न
सुधा रानी देवी (पति ललन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	011	
रतन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	008	
वीणा देवी (पति रतन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	013	
मनोरंजन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	009	
सरोज देवी (पति मनोरंजन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	012	
रंजन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	010	
कंचन कुमारी (पति रंजन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	014	